( राजस्थान–सरकार )

## न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
**प्रकरण संख्या :– 23 / 2024**
**पंजीकरण सं. :– 2024 / 58**

**बउनवान**

राज0 सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ
(प्रार्थी)

**बनाम**

1. श्री ओमप्रकाश गौड पुत्र श्री भवानीशंकर गौड जाति गौड़ निवासी गौतम कॉलोनी, शिव धर्मकांटे के सामने, कोटा रोड, बारां जिला बारां (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स आलोक किराना एंड जनरल स्टोर, गौतम कॉलोनी, शिव धर्मकांटे के सामने, कोटा रोड, बारां जिला बारां
2. मैसर्स आलोक किराना एंड जनरल स्टोर, गौतम कॉलोनी, शिव धर्मकांटे के सामने, कोटा रोड, बारां जिला बारां
3. श्री शिखरचंद पुत्र श्री हरिवल्लभ निवासी चौमुखा बाजार, हरिओम चतुर्वेदी वकील के सामने, बारां मैसर्स महावीर किराना स्टोर, चारमूर्ति चौराहा, बारां
4. मैसर्स महावीर किराना स्टोर, चारमूर्ति चौराहा, बारां
5. मैसर्स जय श्री कृष्णा एसोसिएट्स, एफ– 544 रोड नं. 6–डी, वीकेआई एरिया जयपुर मो.नं. 9461690002
6. मैसर्स एस.एन.एन. फूड्स प्रा.लि., एस वाई नं. नगरुर गांव दासनपुरा होबली, बैंगलोर उत्तरी तालुक 562123, बैंगलोर शहरी कर्नाटक

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) / 52 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स, 2011

उपस्थिति :– 1– श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया खा.सु.अ. (प्रार्थी)
2– श्री हिमांशु जैन अभिभाषक (अप्रार्थीगण)

## निर्णय दिनांक 16.07.2024

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्ये श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 13.02.2023 को मैसर्स आलोक किराना एंड जनरल स्टोर, गौतम कॉलोनी, शिव धर्मकांटे के सामने, कोटा रोड, बारां जिला बारां (राज.) पर पहुंचा। वहॉं पर श्री ओमप्रकाश गौड़ पुत्र श्री भवानीशंकर गौड़ (विक्रेता एवं मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 13.02.2023 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा हूँ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 02.12.2022 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक आयुक्ता0 / खासुऔनि / संस्था / 2022 / 6235 दिनांक 22.12.2022 से कार्यक्षेत्र जिला बारां आवंटित किया गया तथा आदेश क्रमांक 6379 दिनांक 26.12.2022 के अनुसार मुझे ब्रास सील संख्या 61 आवंटित की गई।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया, वहॉं पर खाद्य पदार्थ **मिर्ची पाउडर (SNN) मूल पॉली पैक** के 4–5 किग्रा पैकेट रैक में आम जनता को विक्रय हेतु [illegible]। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता [illegible] **मिर्ची पाउडर (SNN) मूल पॉली पैक** में मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु [illegible] अवगत कराया गया, तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे [illegible] कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.08.07 13:52:17 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **मिर्ची पाउडर (SNN) मूल पॉली पैक** 500–500 ग्राम के 04 मूल पैक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे जिसकी कीमत श्री ओमप्रकाश गौड़ पुत्र श्री भवानीशंकर गौड (विक्रेता एवं मालिक) को 680 /– रूपये (अक्षरे छः सौ अस्सी रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **मिर्ची पाउडर (SNN) मूल पॉली पैक** के प्रत्येक भाग पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–1662 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–1662 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री ओमप्रकाश गौड़ पुत्र श्री भवानीशंकर गौड (विक्रेता एवं मालिक) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विशलेषक कोटा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म नं0 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्सलेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/101 दिनांक 13.03.2023 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 163/PHL/kota/Act/2023/163 दिनांक 27.02.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **मिर्ची पाउडर (SNN) मूल पॉली पैक** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम, 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Misbranded)** होना पाया गया।

इस पर प्रकरण दिनांक 13.03.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर उपस्थिति दी गई है। प्रकरण में अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

**राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां** ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **मिर्ची पाउडर (SNN) मूल पॉली पैक** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Misbranded)** होना पाया गया। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(II) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

**अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा** दौराने बहस प्रस्तुत जवाब के संपूर्ण तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जिस लेबोरेट्री से जांच करवाई गई है, वह मान्यता प्राप्त नहीं है। प्रकरण में **Expiary Date** अंकित नहीं होना बताया गया है जबकि उस पर **Best Before Months** अंकित किया हुआ था। हमारे प्रोडक्ट में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं पाई गई है जिससे किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर हानि होती है। अप्रार्थीगण छोटे व्यापारी है जिनकी ज्यादा बिक्री नहीं होती है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत की गई कार्यवाही निरस्त फरमाई जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.08.07 13:32:17 IST
Reason: SelfAttested

**प्रार्थी राजस्थान सरकार** जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा कहा गया कि जिस लेबोरेट्री से जांच करवाई गई है, वह राज्य सरकार एवं एफएसएसएआई दिल्ली से मान्यता प्राप्त है। खाद्य पदार्थ की लेबलिंग पर **Best Before Months** अंकित है जिससे [illegible]य की निश्चितता नहीं है जबकि **Expiary Date & Use by** अंकित होने से समय की निश्चितता होती है। अप्रार्थीगण यदि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 163/PHL/kota/Act/2023/163 दिनांक 27.02.2023 से असन्तुष्ट थे तो अप्रार्थीगण को जर्ये पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जॉच करवाये। किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जॉच नहीं करवायी गई है।

**प्रकरण में उभयपक्ष की** अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **मिर्ची पाउडर (SNN) मूल पॉली पैक** निर्दिष्ट खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 163/PHL/kota/Act/2023/163 दिनांक 27.02.2023 से धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Misbranded)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(II) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 52 के तहत अप्रार्थी क्रम 05 एवं 06 को कुल जुर्माना राशि 20,000/– रूपये (अक्षरे बीस हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी क्रम 05 एवं 06 उक्त जुर्माना राशि ई–मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक **16.07.2024** को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.08.07 13:52:17 IST
Reason: SelfAttested